

सूचना (छात्रवृत्ति) मुख्यमंत्री जनकल्याण (नया सवेरा)

महाविद्यालय मे अध्ययनरत् B.Sc, B.HSc एवं M.Sc/ M.HSc की छात्राओं सूचित किया जाता है कि श्रमिक मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना सत्र 2020-21 के आवेदन ऑनलाइन भरकर कार्यालय मे श्रीमती रितु ठाकुर ,सहा ग्रेड-3 के पास स्टोर कक्ष मे जमा करें।

1. आवेदन का ऑनलाइन प्रिंट 2020-21
2. प्रथम वर्ष की छात्राओं को 10 वीं , 12 वी की अंक सूची की और टी.सी की छायाप्रति।
3. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष को पास आउट की मार्कशीट की अंकसूची की छायाप्रति।
4. एम.एस.सी प्रथम सेमेस्टर की छात्राओं को B.Sc, B.HSc के अंतिम वर्ष की अंकसूची की छायाप्रति।
5. आधार कार्ड की छायाप्रति।
6. बैंक खाता बचत खाता के पास बुक की छायाप्रति छात्रा के नाम अंकित होना जरूरी
7. क्योस्क द्वारा खोले गये 0 बैलेंस वाले खाते मान्य नहीं होंगे।
8. BPL कार्ड एवं नया सवेरा कार्ड की छायाप्रति। BPL कार्ड मे छात्रा के नाम दर्ज होना आवश्यक है।
9. आय प्रमाण पत्र
10. महाविद्यालय मे जमा की गई फीस रसीद की छायाप्रति।
11. समस्त संनलग्न छायाप्रतियां स्वप्रमाणित होना आवश्यक है।
12. नवीनीकरण की छात्राएँ पोल्स खुलने पर जमा करेंगी।

नोट - श्रमिक मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के साथ अन्य छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी। एक सत्र मे छात्रा को एक ही छात्रवृत्ति/योजना का लाभ प्राप्त होगा। अन्य छात्रवृत्ति/योजना का लाभ लेने पर छात्रवृत्ति निरस्त हो जावेगी।

प्रभारी

डॉ अखिलेश अयाची
Principal
Govt. M.H. College of Home Sc.
& Sc. for Women, Jabalpur (M.P.)

सूचना
(गांव की बेटा छात्रवृत्ति)

महाविद्यालय की समस्त अध्ययनरत छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिन छात्राओं ने सत्र 2020-21 में 12 वीं कक्षा अपने गांव से प्रथम श्रेणी प्राप्त कर उत्तीर्ण की है, वे छात्राएं अपने समस्त दस्तावेजों के साथ आवेदन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन भरकर छात्रवृत्ति विभाग में 4.1.2021 से 6.1.2021 तक जमा कर सकती है। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें:-

- (1) स्कूल प्राचार्या का प्रमाण पत्र ऑफ लाइन 60% -----
- (2) कार्यपालन यंत्री का प्रमाण पत्र ऑफ लाइन
- (3) सरपंच का प्रमाण पत्र ऑफ लाइन
- (4) (सरपंच) गांव से भरा हुआ फार्म ऑफ लाइन
- (5) ऑन लाइन फार्म के साथ
- (6) प्रथम वर्ष की छात्रा 10वीं 12वीं की अंक सूची
- (7) द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की छात्राएं पास आउट मार्कशीट
- (8) छात्रा के नाम बैंक खाता **क्योस्क बैंक नहीं लगेगा।**
- (9) आधार कार्ड की छायाप्रति आधार को बैंक से लिंक कराने के बाद जमा करें।
- (10) महाविद्यालय में फीस पूरी जमा की रसीद
- (11) छात्रा **गांव में 12वीं पास हो गांव में रहना नहीं समग्र आई. डी.**
- (12) स्कूल का डॉयस कोड अनिवार्य
- (13) आय, जाति, मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- (14) वचन पत्र
- (15) एक ही छात्रवृत्ति मिलेगी इसके साथ दूसरी छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
- (16) जमा करने की अंतिम तिथि 4, 5 एवं 6.1.2021।
- (17) कार्यालय में समय सीमा के अंदर रितु ठाकुर मेडम के पास जमा करें।
- (18) इस छात्रवृत्ति के साथ कोई दूसरी छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं है।

डॉ. अखिलेश अयाची

Principal

Govt. M.H. College of Home Sc.
& Sc. for Women, Jabalpur (M.P.)

सूचना (प्रतिभा किरण योजना)

महाविद्यालय की समस्त अध्ययनरत् छात्राओं को सूचित किया जाता है कि म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक ए-19-1- /08/02 अड़तीस के परिपालन में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली शहर की मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिये प्रतिभा किरण योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। उक्त छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु शासन के नियमानुसार शर्तों निम्न है।

जमा करने की अंतिम तिथि 4, 5 एवं 6/01/2021 है, उसके बाद जमा नहीं किये जायेंगे।

- (1) छात्रा ने प्रथम श्रेणी से कक्षा 12वीं सत्र 2020-2021 में शहर से 12 वीं पास की हो। 60 से कम नहीं।
- (2) छात्रा शहर की निवासी हो, मूल निवासी प्रमाण पत्र।
- (3) गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवार का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (नगर निगम) से प्रदत्त प्रमाण पत्र छायाप्रति अनिवार्य।
- (4) छात्रा के नाम स्वयं का एकाउंट से क्योस्क बैंक मान्य नहीं। आधार से लिंक होना आवश्यक है। पासबुक छायाप्रति
- (5) आधार कार्ड की छायाप्रति।
- (6) 1st Year की छात्राओं को 10 वीं 12 वीं की मार्कशीट
- (7) 2nd Year की छात्रायें 1st Year की मार्कशीट एवं 3rd Year की छात्राएँ 2nd Year की मार्कशीट लगाये।
- (8) ऑनलाइन फार्म के साथ सारे संलग्न प्रपत्र।
- (9) फीस रसीद पूरी जमा की हो।
- (10) वचन पत्र IFSC CODE NUMBER, BANK ACCOUNT NO., MOBILE NUMBER लिखा हो। एकाउंट स्वयं का होना चाहिये।
- (11) आय, जाति, मूल निवासी, समग्र आई.डी.।
- (12) एक बार में एक ही मिलेगी।
- (12) प्रतिभा किरण, गाँव की बेटा, श्रमिक छात्रवृत्ति के फार्म कार्यालय में श्रीमती रितु ठाकुर के पास फार्म जमा करने होंगे।
- (13) एक योजना के अतिरिक्त दूसरी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

डॉ. अखिलेश अयाची

Principal

Govt. M.H. College of Home Sc.
& Sc. for Women, Jabalpur (M.P.)